भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 370

24 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

भारतीय खाद्य निगम की क्षमता

370. श्री अरुण भारती:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान गोदाम/भंडारण क्षमता क्या है;

(ख) क्या हाल के एक अध्ययन से पता चला है किदेश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा हर साल बर्बाद हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने तथा उसके संरक्षण और खाद्यान्न की भंडारण-क्षमता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं: और

(घ) क्या एफसीआई ने किराए के गोदामों में भी खाद्यान्न का भंडारण किया है और यदि हां, तो इस पर कितनी वार्षिक राशि खर्च की जा रही है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): दिनांक 01.07.2024 तक की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल के खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास कुल कवर्ड भंडारण क्षमता (स्वामित्व वाली + किराए की) 408.09 लाख टन है। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख): सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भारी मात्रा में खाद्यान्नों (प्रमुख रूप से धान और गेहूं) का भंडारण और प्रबंधन करता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में बफर और रणनीतिक रिजर्व भी बनाए रखता है। प्रमुख रूप से चक्रवात, बाढ़ और वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की बहुत कम मात्रा क्षतिग्रस्त हुई है।

....2/-

उठान की गई मात्रा की तुलना में जारी न किए जाने योग्य खाद्यान्नों के उपार्जन का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

एफसीआई में जारी न करने योग्य खाद्यान्नों का उपार्जन			
वर्ष	जारी न करने योग्य उपार्जित खाद्यान्न (आंकड़े लाख टन में)	उठान की गई मात्रा (आंकड़े लाख टन में)	प्रतिशत (%)
2019-20	0.019	455.130	0.004
2020-21	0.018	688.566	0.003
2021-22	0.017	766.081	0.002
2022-23	0.016	675.826	0.002
2023-24	0.103	470.719	0.022

(ग): खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता की आवश्यकता प्रमुख रूप से चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) प्रचालनों पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करती है तथा भंडारण अंतराल आकलन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित / किराए पर ली जाती हैं:

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना।
2. केंद्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस)।
3. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण।
4. केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना।
5. निजी वेयरहाउसिंग योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदामों को किराए पर लेना।
6. परिसंपत्ति मौद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण।

....3/-

(घ): जी हां।

पिछले पांच वर्षों के दौरान किराए के गोदामों की भंडारण लागत पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्त वर्ष	धनराशि (लाख रुपए में)
1	2022-23	250159.02
2	2021-22	276179.44
3	2020-21	307905.46
4	2019-20	282574.58
5	2018-19	241378.00

*****

(अनुबंध- I)

लोक सभा में दिनांक 24.07.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.07.22024 तक की स्थिति के अनुसार एफसीआई के केन्द्रीय पूल में भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल		राज्य	एफसीआई के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वामित्व वाली/किराए पर ली गई)		कुल (स्वामित्व वाली+किराए पर ली गई)
			स्वामित्व वाली	राये पर ली ग	
पूर्वी	1	Bihar/बिहार	3.45	7.24	**10.68**
	2	Jharkhand/झारखण्ड	0.79	3.78	**4.57**
	3	Odisha/ओडिशा	3.65	2.60	**6.25**
	4	West Bengal/पं.बंगाल	9.53	0.77	**10.30**
	5	Sikkim/सिक्किम	0.11	0.01	**0.11**
पूर्वी अंचल में कुल			17.53	14.39	31.92
पूर्वोत्तर	6	Assam/असम	3.74	1.54	**5.28**
	7	Arunachal Pradesh/अरुणाचल प्रदेश	0.41	0.02	**0.43**
	8	Meghalya/मेघालय	0.20	0.23	**0.42**
	9	Mizoram/मिजोरम	0.32	0.00	**0.32**
	10	Tripura/त्रिपुरा	0.44	0.08	**0.51**
	11	Manipur/मणिपुर	0.65	0.00	**0.65**
	12	Nagaland/नागालैंड	0.42	0.16	**0.57**
पूर्वोत्तर अंचल में कुल			6.16	2.02	8.18
उत्तर	13	Delhi/दिल्ली	3.28	0.00	**3.28**
	14	Haryana/हरियाणा	8.75	47.80	**56.55**
	15	Himachal Pradesh/हिमाचल प्रदेश	0.27	0.74	**1.01**
	16	Jammu & Kashmir/जम्मू एवं कश्मीर	0.95	1.28	**2.22**
	17	Ladakh/लद्दाख	0.25	0.07	**0.32**
	18	Punjab/पंजाब	27.17	98.36	**125.53**
	19	Chandigarh/चंडीगढ़	0.00	0.09	**0.09**
	20	Rajashthan/राजस्थान	8.52	9.60	**18.12**
	21	Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश	15.68	32.94	**48.62**
	22	Uttarkhand/उत्तराखंड	0.73	1.11	**1.85**
उत्तर अंचल में कुल			65.59	191.98	257.57
दक्षिण	23	Andhra Pradesh/आंध्र प्रदेश	8.64	2.72	**11.36**
	24	Andaman & Nico./अंडमान एवं निकोबार	0.07	0.00	**0.07**
	25	Telangana/तेलंगाना	6.68	9.89	**16.56**
	26	Kerela/केरल	5.89	0.06	**5.95**
	27	Karnatka/कर्नाटक	4.61	4.81	**9.42**
	28	Lakshadweep/लक्षद्वीप	0.03	0.00	**0.03**
	29	Tamilnadu/तमिलनाडु	6.46	5.33	**11.79**
	30	Puducherry/पुडुचेरी	0.51	0.00	**0.51**
दक्षिण अंचल में कुल			32.88	22.80	55.68
पश्चिम	31	Gujrat/गुजरात	4.93	4.15	**9.07**
	32	D&NH and D&D/दमन एवं दीव	0.00	0.00	**0.00**
	33	Maharashtra/महाराष्ट्र	9.23	7.19	**16.42**
	34	Goa/गोवा	0.19	0.00	**0.19**
	35	Madhya Pradesh/मध्यप्रदेश	4.18	6.22	**10.40**
	36	Chattisgarh/छत्तीसगढ़	6.32	12.34	**18.65**
पश्चिम अंचल में कुल			24.85	29.89	54.74
सकल योग			**147.00**	**261.09**	**408.09**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.02.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

खाद्यान्नों की क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) भंडारण पद्धतियों को उचित वैज्ञानिक संहिता अपनाकर खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है।

(ii) खाद्यान्नों में फर्श से नमी आने से रोकने के लिए पर्याप्त डनेज सामग्री जैसे लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की चद्दरों का उपयोग किया जाता है।

(iii) सभी गोदामों में भंडारित अनाज के कीड़ों के नियंत्रण के लिए प्रधूमन कवर, नॉइलान की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक प्रदान किए जाते हैं।

(iv) भंडारित अनाज के कीड़ों के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधक (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर उपचार (प्रधूमन) नियमित रूप से और समय पर किए जाते हैं।

(v) चूहों के नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

(vi) ट्रांजिट स्टोरेज/'कवर एंड प्लिंथ' (सीएपी) भंडारण में खाद्यान्नों का भंडारण ऊंचे प्लिंथों पर किया जाता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी की क्रेटों का उपयोग किया जाता है। चट्टों को कम घनत्व वाले विशिष्ट रूप से तैयार किए गए काले रंग के वाटर प्रूफ पॉलीथीन कवरों से कवर किया जाता है और नॉइलान की रस्सियों/ जालों से बांध दिया जाता है।

(vii) अर्हक एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों के नियमित रूप से आवधिक निरीक्षण किये जाते हैं। खाद्यान्नों की गुणवत्ता की निगरानी विभिन्न स्तरों पर चेक और सुपर-चेक प्रणाली के माध्यम से नियमित अंतराल पर की जाती है।

(viii) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' (एफआईएफओ) सिद्धांत का यथासंभव पालन किया जाता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधिक भंडारण से बचा जा सके।

(ix) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल कवर किए हुए रेल वैगनों का उपयोग किया जाता है ताकि परिगमन (ट्रांजिट) के दौरान क्षति से बचा जा सके।

(x) स्टॉक की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने और क्षति को कम करने के लिए जिला, क्षेत्र और अंचल स्तर पर क्षति निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। यदि कोई लापरवाही की सूचना मिलती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

(xi) छत में लीकेज करने वाले सभी स्थानों की समय-समय पर पहचान और मरम्मत की जाती है।

(xii) गोदाम परिसरों में नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाती है।

(xiii) यह सुनिश्चित करना कि गोदामों के अंदर कोई रिसाव (सीपेज) तो नहीं है।

(xiv) परिसर में पानी का जमाव नहीं होने देना।

*****